रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 278] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 22, 1987/ज्यैष्ठ 1, 1909
No. 278] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 22, 1987/JYAISTHA 1, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 22 मई, 1987

अधिसूचना

स. 225/87-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 525(अ):—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना

आवश्यक है, निदेश देती है कि इससे संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचनाओं में से प्रत्येक में उक्त सारणी के स्तम्भ (3), में विनिर्दिष्ट रीति से और संशोधन किए जाएंगे ।

सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना सं. और तारीख	संशोधन
1	2	3
1.	2-सीमाशुल्क, तारीख 1 जनवरी, 1979 2. 255/86-सीमाशुल्क, तारीख 17 अप्रैल, 1986 3. 480/86-सीमाशुल्क तारीख 4 दिसम्बर, 1986 5. 482/86-सीमाशुल्क, तारीख 4 दिसम्बर, 1986	उक्त अधिसूचनाओं के पैरा 2 में "31 मई, 1987" कोष्ठकों, अंकों और शब्दों के स्थान पर "31 अगस्त, 1987" कोष्ठक, अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 356/23/87-टी. आर. यू.]

टी. जयरामन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 22nd May, 1987

NOTIFICATION

No. 225/87-CUSTOMS

G.S.R. 525 (E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962,) the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance, Depart-

ment of Revenue, specified in column (2) of the Table hereto annexed, shall be further amended in the manner specified in column (3) of the said table.

TABLE

Sl. No.	Notification No. and date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1.	2-Customs, dated the 1st January, 1979	In the said notifications, in paragraph 2, for the figures, letters and words "31st day of May, 1987" the figures, letters and words '31st day of August, 1987" shall be substituted
2.	255/86-Customs, dated the 17th April, 1986	
3.	480/86-Customs, dated the 4th December, 1986	
4.	481/86-Customs, dated the 4th December, 1986	
5.	482/86-Customs, dated the 4th December, 1986	

[F. No. 356/23/84-TRU]

T. JAYARAMAN Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987